विविध **बैंक प्रकरण संख्या 102/2022(GCMS : 2022/148) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री चतुर भुज यादव, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा –गौशाला रोड़, 173–174– जी ब्लॉक, सुखाड़िया सर्कल, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. राजवन्त कौर** पत्नी अमरीक सिंह निवासी कौर सिंह कॉलोनी, गांव कालियाँ, चक 4 बी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर **2.अमरीक सिंह पुत्र ठाकर सिंह** निवासी कौर सिंह कॉलोनी, गांव कालियाँ, चक 4 बी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा के पर्चा पैरवी पर श्री मंगरराम अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 25.05.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण राजवन्त कौर एवं अमरीक सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 5,81,219/– रूपये (अखरे रूपये पांच लाख इक्यासी हजार दो सौ उन्नीस मात्र) का ऋण दिनांक 10.09.2020 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजवन्त कौर की **आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–39, रॉयल एन्क्लेव(क्षेत्रफल 600 वर्गफुट), गांव कालियाँ, मुरब्बा नं. 13 चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.12.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के खाते दिनांक 31.12.2021 को 5,87,436/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला पार्षद
श्री गंगानगर

दिनांक 20.01.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी राजवन्त कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी **आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–39, रॉयल एन्क्लेव(क्षेत्रफल 600 वर्गफुट), गांव कालियाँ, मुरब्बा नं. 13 चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार **प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण राजवन्त कौर एवं अमरीक सिंह को 5,81,219/– रूपये (अखरे रूपये पांच लाख इक्यासी हजार दो सौ उन्नीस मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 10.09.2020 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी राजवन्त कौर की **आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–39, रॉयल एन्क्लेव(क्षेत्रफल 600 वर्गफुट), गांव कालियाँ, मुरब्बा नं. 13 चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.12.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.01.2022 को जारी किये ... पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.01.2022 को भिजवाये ... जिसे भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं ऑनलाइन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी राजवन्त कौर द्वारा अपनी **आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–39, रॉयल एन्क्लेव(क्षेत्रफल 600 वर्गफुट), गांव कालियाँ, मुरब्बा नं. 13 चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.01.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.01.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.01.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी राजवन्त कौर एवं अमरीक सिंह की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैक की समस्त बकाया राशि का भुगतान नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजवन्त कौर के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और राजवन्त कौर की **आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–39, रॉयल एन्क्लेव(क्षेत्रफल 600 वर्गफुट), गांव कालियाँ, मुरब्बा नं. 13 चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:04 IST
Reason: SelfAttested